

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



सत्यमेव जयते



भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

01st April, 2024

DO No. 14/News Letter/CH(IC)/2024

Dear *Colleague*,

I am happy to inform that the Indirect Tax collections for the Financial Year 2023-24 including Customs and Union Excise Duty have exceeded the Revised Estimates by a handsome margin. The year ending collection figures of GST for the month of March also showed encouraging performance with the second highest collection ever at ₹1.78 lakh crore and posting a 11.5% year-on-year growth. The Gross GST collections for the FY 2023-24 also mark a milestone with collection of Rs. 20.18 lakh crore exceeding the previous year collections by an impressive 11.7%. Congratulations to the entire CBIC family on the remarkable performance. Your dedication, hard work, and commitment have truly paid off, showcasing CBIC's versatility in navigating challenges and achieving remarkable results. This achievement not only reflects professionalism but also underscores the strength of teamwork and perseverance within the CBIC community. Your relentless efforts have not gone unnoticed, and I extend my heartfelt appreciation to each and every member for their invaluable contributions throughout the year.

Going forward, let us draw inspiration from the wisdom of the Bhagavad Gita which teaches us, "*Perform your obligatory duty, because action is indeed better than inaction*". This verse reminds us of the importance of diligently carrying out our responsibilities. As we, *karmayogis*, march on the path of dedication, integrity, and excellence, I am confident that together, we will continue to achieve new heights of success in the new Financial Year.

In an important step towards Ease of Doing Business, Guidelines for CGST field formations while engaging in investigation were issued last week. In addition to streamlining various processes during investigation such as initiation of investigation, seeking information/documents, apprising senior officers of the developments, timely conclusion, etc. the Guidelines also seeks to establish a Grievance Officer for appropriate redressal of the grievances of regular taxpayers related to an ongoing investigation. Needless to say, the Guidelines should be followed in letter and spirit by the CGST field formations.

Last week, I along with Member (Customs), inaugurated the new metals ores testing Lab at Central Revenues Control Laboratory (CRCL), New Delhi. The new

Laboratory is equipped with requisite facilities for analysis as per WCO guidelines and will enhance the testing capabilities of CRCL immensely.

On the basis of specific intelligence regarding smuggling of Betel Nuts into India by way of mis-declaration, the officers of DRI Kolkata Zonal Unit kept watch on two containers which had arrived at Kolkata Port and were meant to be transhipped to ICD Durgapur. The goods in these containers were declared as Raw Cashew Nuts. However, on detailed examination, it was revealed that the containers were stuffed with bags containing Betel Nuts behind Raw Cashew Nuts of extremely inferior quality. Thereafter, based on data analytics and further leads gathered by officers of DRI, six more containers which had arrived at Kolkata Port were identified which on detailed examination revealed that the front of these containers were stacked with Dry Dates of extremely inferior quality while at the back, the containers were found to be stuffed with bags containing Betel Nuts. Altogether, 200.76 MT of Betel Nuts having approximate value of Rs. 10.52 Crore were seized and one person complicit in the smuggling was arrested. Outstanding work!

Last week saw us bid farewell to one of our senior colleague and outstanding officer, Sh. U. Niranjana, an officer of the 1991 Batch. On behalf of the Department and myself, I thank you for your valuable contribution to the Department over the years and wish you all the very best for your second innings. May good health and happiness be at your side always!

Until next week!

Yours sincerely,



(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष
Sanjay Kumar Agarwal
Chairman

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

01 अप्रैल, 2024

DO No. 14/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहकर्मी,

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अप्रत्यक्ष कर संग्रह सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित संशोधित अनुमान से पार हो गया है। साल के अंत में जीएसटी के संग्रह के आंकड़ों ने सकारात्मक प्रदर्शन दिखाया, अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह ₹1.78 लाख करोड़ रहा और साल-दर-साल 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल जीएसटी संग्रह भी 20.18 लाख करोड़ रुपये के संग्रह के साथ एक मील का पत्थर है जोकि पिछले वर्ष के संग्रह से 11.7% अधिक प्रभावशाली है। उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए पूरे सीबीआईसी परिवार को बधाई। आपके समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता ने वास्तव में उत्तीर्ण कार्य किया है, जो चुनौतियों से निपटने और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त करने में सीबीआईसी की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। यह उपलब्धि न केवल कुशलता को दर्शाती है बल्कि सीबीआईसी समुदाय के भीतर टीम वर्क और दृढ़ता की ताकत को भी रेखांकित करती है। आपके अथक प्रयास ध्यान विमुख नहीं हुए हैं और मैं संपूर्ण वर्ष अमूल्य योगदान के लिए प्रत्येक सदस्य की हार्दिक सराहना करता हूँ।

आगे बढ़ते हुए, आइए हम भगवद गीता के ज्ञान से प्रेरणा लें जो हमें सिखाती है, "अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्मण्यता वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है"। यह श्लोक हमें अपनी जिम्मेदारियों को लगन से निभाने के महत्व की याद दिलाता है। चूंकि हम कर्मयोगी, समर्पण, निष्ठा और उत्कृष्टता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर इस नए वित्तीय वर्ष में भी सफलता की नई ऊँचाइयाँ हासिल कर सकेंगे।

व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की ओर, पिछले सप्ताह सीजीएसटी क्षेत्र संरचनाओं को जांच से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशा निर्देशों में जांच के दौरान विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु, जैसे कि जांच शुरू करना, सूचना/दस्तावेज मांगना, वरिष्ठ अधिकारियों को घटनाक्रम से अवगत कराना, समय पर समापन करना आदि के अलावा शिकायतों के उचित निवारण के लिए एक शिकायत अधिकारी स्थापित करने का भी प्रावधान है। कहने की जरूरत नहीं, सीजीएसटी क्षेत्र संरचनाओं द्वारा दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

पिछले सप्ताह, मैंने सदस्य (सीमा शुल्क) के साथ, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल), नई दिल्ली में नई धातु अयस्क परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। नई प्रयोगशाला

डब्ल्यूसीओ दिशानिर्देशों के अनुसार विश्लेषण के लिए आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है और इससे सीआरसीएल की परीक्षण क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी।

गलत घोषणा (mis-declaration) के माध्यम से भारत में सुपारी की तस्करी के संबंध में खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई कोलकाता जोनल यूनिट के अधिकारियों ने दो कंटेनरों पर नजर रखी, जो कोलकाता बंदरगाह पर आए थे और जिन्हें आईसीडी दुर्गापुर में जाना था। इन कंटेनरों में रखे सामान को कच्चा काजू बताया गया। हालांकि, विस्तृत जांच करने पर पता चला कि कंटेनरों में बेहद खराब गुणवत्ता के कच्चे काजू के पीछे सुपारी के थैले भरे हुए थे। इसके बाद, डेटा एनालिटिक्स और डीआरआई के अधिकारियों द्वारा जुटाए गए सुरागों के आधार पर, कोलकाता बंदरगाह पर आए छह और कंटेनरों की पहचान की गई, जिनकी विस्तृत जांच से पता चला कि इन कंटेनरों में आगे खराब गुणवत्ता के सूखे खजूरे भरे हुए थे, जबकि पीछे की तरफ कंटेनरों में सुपारी की थैलियां भरी हुई पाई गईं। कुल मिलाकर, 200.76 मीट्रिक टन सुपारी जिसका अनुमानित मूल्य रु. 10.52 करोड़ रुपये है जब्त किए गए और तस्करी में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। प्रशंसनीय कार्य!

पिछले सप्ताह हमने अपने एक वरिष्ठ सहकर्मी और उत्कृष्ट अधिकारी, श्री यू. निरंजन, 1991 बैच के अधिकारी को विदाई दी। विभाग और अपनी ओर से, मैं पिछले वर्षों में विभाग में आपके बहुमूल्य योगदान के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा स्वास्थ्य और खुशी हमेशा आपके साथ रहे!

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय कुमार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण ।